# न्यायालय उपजिलाधिकारी, मऊरानीपुर

वाद सं0 टी0 उ०प्र०रा०सं० 034 /2018 धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006

**महाचरन मेमोरियल एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक डॉ0 प्रमोद कुमार यादव, ग्राम–पनारी, तहसील–ललितपुर, जिला ललितपुर।**

नकल **निर्णय/आदेश** ता०फै० 29-01-2018

महाचरन मेमोरियल एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक डॉ0 प्रमोद कुमार यादव पुत्र श्री पराग राम यादव, निवासी ग्राम पनारी, तहसील ललितपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2018 के क्रम में तहसीलदार मऊरानीपुर की आख्या दिनांक 25.01.2018 द्वारा मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि ग्राम–रेवन, परा0 व तहसील–मऊरानीपुर, जिला झाँसी स्थित खाता संख्या 115 के गाटा संख्या 394 रकबा 1.724 हे0 को धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार मऊरानीपुर की आख्यानुसार मेरा यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि कृषि भूमि से भिन्न प्रयोजन की भूमि है और उक्त धारा के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना औचित्यपूर्ण है।

| ग्राम का नाम | भूमिधर का नाम/पिता का नाम तथा निवास स्थान का पता | खाता खतौनी संख्या | खाते का क्षे0 (हे0 में) | माल गुजारी | गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये जाने वाले खाते का क्षे0 | | विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिये खाता या उसका कोई भाग काम में लाया जाना हो | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (क) गाटा संख्या | (ख) क्षेत्रफल | | |
| रेवन | महाचरन मेमोरियल एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक डॉ0 प्रमोद कुमार यादव पुत्र श्री पराग राम यादव, निवासी ग्राम पनारी, तहसील ललितपुर | 115 | 1.724 | 6.67 | 394 | 1.724 | पक्का निर्माण | – |

अतः एतद् द्वारा तहसीलदार मऊरानीपुर की उक्त आख्या के आलोक एवं परिशीलन में उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि को तत्काल प्रभाव से कृषि प्रयोजन से असम्बद्ध प्रयोजन की भूमि प्रख्यापित की जाती है एवं उक्त भूमि के सम्बन्ध में उद्घोषणा के दिनांक से उक्त भूमि पर राजस्व संहिता 2006 के प्राविधान लागू नहीं रह जायेगें और यह भूमि अब खातेदार की व्यक्तिगत विधि जिससे वह न्यामित होता है से संचालित होगी। इस आशय की प्रविष्टि खतौनी के सम्बन्धित खाते के विवरण कॉलम में की जायेगी, जिसे आगे के वर्षों में भी उतारा जायेगा। प्रतिकर या सॉलवेंसी सम्बन्धी मामले प्रभावित नहीं होगें। भूमि का मूल्यांकन उस पर वास्तविक निर्माण एवं मौके की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित होगा।

बाद निष्पादन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

न्यायालय परगनाधिकारी मऊरानीपुर (झाँसी)

29/01/2018

(बृजेश कुमार त्रिपाठी)
उपजिलाधिकारी, मऊरानीपुर

प्रतिलिपि–

1.तहसीलदार मऊरानीपुर को तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद एवं अन्य नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2.उप निबन्धक मऊरानीपुर को इस आशय से कि उक्त प्रख्यापन को प्राविधानों के अन्तर्गत भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में किसी बात के रहते हुए भी उसे बिना शुल्क लिये रीति से पंजीकृत करें।

प्रतिलिपि कर्ता ..........
मिलान कर्ता ..........
कोर्ट फीस ..........
अनुमानित ..........

29/01/2018

(बृजेश कुमार त्रिपाठी)
उपजिलाधिकारी, मऊरानीपुर

सत्य प्रतिलिपि

पेशकार 29-01-2018
परगनाधिकारी/परगनामजिस्ट्रेट
मऊरानीपुर (झाँसी)

प्रार्थना पत्र सं. व दिनाँक 28/01/2018
नोटिस बोर्ड का दिनाँक 29/01/2018
नकल देने का दिनाँक 29/01/2018